

27.01.2025

पत्रावली पत्र । डाची अण्विवाहा उपस्थित । अडाची संख्या
10,11 रसि ही कोरिद तागिली के उपरावत भी अडुग।
अतः अडाची 10,11 के विरुद्ध एकपक्षिय कार्यवाही

(Signature)

सहायक कलेक्टर, सांगौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांगौर)

डाची संख्या (2025/10,11) कोरिद तागिली के उपरावत भी अडुग।



तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही अज इनिशियल्स जज

अमल में लार्ड जाली की प्रतिवादी संख्या 01/09
09 द्वारा प्रस्तावित केवल देने के उपरान्त भी
पता नहीं। तब: अर्थात् 01 से 09 का
पता बन्द किया गया है बहल उपरान्त
अभियोग की हुनी गई। जाली अभियोग
ने प्रार्थना पर में वर्णित तथ्यों को सँभालते
हुए अपनी बहल में निवेदन किया कि जाली
कारील में जाली तथा अर्थात् संख्या 01 से 09
की संयुक्त खातेदारी की अति बँत बहल
संख्या 415, 416/2688, 421/2689, 429, 430, 433,
436, 437, 443, 447, 448, 471, 472, 477,
478, कुल संख्या 7-92 के अंतर्गत जो राष्ट्रपति
रेकॉर्ड में जाली के पिताजी टाबाराज का मेधा
एवं अन्य अभियोग में नाम ले दर्ज है। उपरोक्त
काराजी उराने बहल नम्बर 253 सी, 291 सी
की काराजीमान अंतर्गत जाली के पिताजी टाबाराज
के नाम ले दर्ज रही किन्तु उपरोक्त काराजी
जाली की उरानी काराजी होने के कारण जाली
का उक्त टाबाराज के हिस्से की सम्पत्ति में
1/5 हिस्से उत्तराधिकार अभियोग के काराजी
उपपन्नाने में किन्तुकार निहित है। इस उराने उक्त
वाफरल्ट काराजी में जाली के पिताजी स्व
टाबाराज उर मेधा के नाम 1/4 हिस्से व बहल
की अति में जाली का 1/5 हिस्सा निहित है।
हैरे में पर बहल नम्बर 415, 477 पर जाली का
कल्या श्री शैतिक व वास्तविक रूप से है जो
अभियोग की जातारी में है। हैरे जाली उपरोक्त
काराजी पर लगातार बिना किसी बाधा व इतर
के स्वतंत्रापूर्वक जाबिल रहकर जाशत करत एवं
करवान आ रहा है। वाफरल्ट अति न, ^{सैमेण} _{बहल}
होने के बावजूद राष्ट्रपति रेकॉर्ड में संयुक्त
खातेदारी दर्ज है। इस कारण उक्त जाली ने वाफरल्ट
काराजी का में पर काबिल करत व हिस्से किन्तुकार
बहलति से बँतवाडा करते हेतु अभियोग को

(पुन)
सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

निवेदन किया तो कृषि विभाग वर्ष पूर्व हुए
 बंधनो से मुक्त तथा जब लौने पर कानून बंध
 मेहुमा समिति से बंधनो करने से हुमा कर
 दिया तथा मेरे बंध की उपजाऊ क्षति अपने के
 मकसद से कृषि विभाग ने हुमे पबलन कर से दोस्त
 करते व मेरे बंध व कला काउत की वादस्त
 कराती पर कला करने तथा वर्षों में- विमान
 करवाये वादस्त कराती को किसी कानून की
 व बंधनो धर्मित को बंधन करने तथा
 हुमे काउत के वधि करने की एलासीन
 यकनिंग ही। यदि कृषि विभाग ऐसा करने से
 सफल हो गये तो हुमे अपूर्ण जति मेरी
 जिनका कांवलन कफो पैसे में किया जा
 कतई कुतडि नही होगा। कतः अपूर्ण जति
 को परिचे अन्तरिम कस्टार्ड (निवेदन) में
 पाबन्ध करवाये। कृषि विभाग कृषि बंधन द्वारा
 उक्त तथो को विरोध करते हुए जर्जना पर
 खारिज करवाने का निवेदन किया।

मेने उपपक्ष कृषि विभाग की वादस्त
 पर मनन किया। परावली पर उपलब्ध दस्तावे
 का अवलोकन किया गया। वादस्त कराती
 कोपलव केरुई कठकाट जमीन की कुतडी
 तथा कला काउत की धर्मित हो रही है।
 कतः काउत उक्त दस्तावे जमीन में पर
 में कथाल आता है तथा कृषि विभाग द्वारा
 किसी प्रकार के लक्ष्य लक्ष्य द्वारा जमीन
 में जर्जना पर का खण्डन नही किया गया है।
 कतः जर्जना पर जमीन का लकीनाट भोग है।

उक्त उमाह उपरोक्त विवरण द्वारा
 जर्जना पर जमीन का लकीनाट किया जातार
 तथा नौना कारोला के (कला) रुकना 415,

(सही)
 सहायक कलेक्टर, सावौर
 (उपखण्ड अधिकारी, सावौर)

तारीख हुक्म	मुकदमा नम्बर हुक्म या कार्यवाही आज इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख आह्वान जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए।
	<p>416/2688, 421/2689, 429, 430, 433, 436, 437, 448, 421, 422, 422, 478 कुल कुल 7-92 इन्टेल आगरी पर अज्ञात संख्या 3 01 तथा 03 से 09 राजस्व रेकर्ड तथा सौके की पचासिती कुल बाद से निस्तारण तक बनाये रखी एवं आज्ञाप की अस्पष्ट/रिपोर्टिंग से अज्ञात 01 तथा 03 से 09 को पाबन्द किया जाता है परावली फिलडुगल लोक अफसर से कम की पाबल शक्ति स्पष्ट से।</p> <p style="text-align: right;">(Ym) सहायक कलेक्टर, सांघौर (उपसह अधिकारी, सांघौर)</p>	